# दाती की गिरफ्तारी के लिए सुबूत की तलाश

## क्राइम ब्रांच आरोपित के भाइयों के खिलाफ भी जुटा रही साक्ष्य

राकेश कुमार सिंह ● नई दिल्ली

**छतरपुर स्थित** शनिधाम मंदिर के संस्थापक दाती महाराज (मदन लाल) व उसके तीन सौतेले भाइयों को क्राइम ब्रांच तभी गिरफ्तार करेगी जब उनके खिलाफ सुबूत मिल जाएंगे। उन पर राजस्थान निवासी युवती (25) ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। क्राइम ब्रांच के संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार के मुताबिक दुष्कर्म पीड़ित युवती के बयान के आधार पर टीम ने दिल्ली के छतरपुर स्थित दाती महाराज के आश्रम व राजस्थान के पाली स्थित आश्रम में गत दिनों घंटों तलाशी ली थी, लेकिन ऐसा कोई ठोस सुबूत नहीं मिला, जिससे वहां दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हो सके।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि युवती ने दो साल बाद मुकदमा दर्ज कराया है। उनका मेडिकल तो करा दिया गया, लेकिन समय अधिक हो जाने के कारण मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होना मुश्किल है। सुबूत के तौर पर अब तक क्राइम ब्रांच के पास युवती का कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया धारा 164 का बयान है। केवल उक्त बयान को सुबूत मानकर दाती व उसके तीनों भाइयों को गिरफ्तार करना क्राइम ब्रांच के लिए आगे कोर्ट में मुसीबत बन सकता है। सुबूत मिलने पर चारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबूत नहीं मिलने पर बिना गिरफ्तार किए कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। इसके बाद कोर्ट के निर्देश के अनुसार पुलिस कोई भी कदम उठाएगी।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई है कि 9 जनवरी 2016 को पाली स्थित दाती के आश्रम से करीब 45 युवतियों को चरण वंदना (पैर दबाने) के लिए दिल्ली बुलाया गया था। इनमें पीड़िता भी शामिल थी। युवती का आरोप है कि उसी रात दाती और उसके सौतेले भाइयों अनिल, अशोक व अर्जुन ने पहली बार उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद 26, 27 व 28 मार्च 2016 को पाली स्थित आश्रम में दाती व उसके तीनों भाइयों ने फिर दुष्कर्म किया था। 9 जनवरी 2016 को पीड़ित युवती के साथ पाली से आईं अन्य 44 युवतियों से भी क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी।

**दाती व उससे जुड़े व्यवसायियों से हुई पूछताछ:** मंगलवार को दाती समेत उससे काफी समय तक जुड़े रहे व्यवसायी सचिन जैन, शक्ति अग्रवाल व नवीन गुप्ता से क्राइम ब्रांच ने चाणक्यपुरी स्थित अपने कार्यालय में कई घंटे तक पूछताछ की। उनसे पहले भी दो बार पूछताछ की जा चुकी है। दाती के तीनों भाइयों से भी तीन बार पूछताछ की जा चुकी है। सचिन, शक्ति व नवीन से इसलिए पूछताछ की जा रही है क्योंकि दाती महाराज ने आरोप लगाया है कि 32 करोड़ रुपये के लेनदेन के झगड़े के कारण इन लोगों ने युवती के साथ साजिश रचकर उसे बदनाम करने के लिए झूठा फंसाया है। तीनों व्यवसायियों ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उन्होंने 32 करोड़ रुपये दाती महाराज के कहने पर अभिषेक अग्रवाल को चंदा के रूप में दिए थे। दाती को उक्त रकम नहीं मिली। इसपर पिछले महीने उनके एक परिचित ने अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। करीब सात दिन जेल में रहने के बाद अभिषेक जमानत पर बाहर आ गया था। पुलिस अधिकारी का कहना है कि केस बहुत ही पेचीदा है, इसलिए जांच लंबी चलेगी। दाती विदेश न भाग जाए इसके लिए क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करा दिया है।

### दुष्कर्म मामला

- राजस्थान में पाली स्थित आश्रम की 44 युवतियों से होगी पूछताछ
- दो साल बाद केस दर्ज होने से जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होना मुश्किल

आरोपित दाती महाराज ●

### यह है मामला

पीड़ित युवती राजस्थान में परिवार के साथ रहती हैं। उनके परिजनों ने करीब 10 साल पहले पढ़ाई के लिए उन्हें दाती के पाली स्थित बालाग्राम गुरुकुल आश्रम में भेजा था। बाद में उन्हें छतरपुर स्थित आश्रम में भेज दिया गया। शिकायत में युवती ने कहा है कि करीब दो साल पहले दाती महाराज ने छतरपुर स्थित शनिधाम मंदिर के आश्रम में उनके साथ पहली बार दुष्कर्म किया था। बाद में उसके तीन भाइयों ने भी आश्रम में कई बार दुष्कर्म किया। धमकी के डर से उन्होंने दो साल तक किसी को आपबीती नहीं बताई। बाद में परिजनों को आपबीती बताने पर और उनके कहने पर 10 जून को फतेहपुरबेरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अगले दिन मामला क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया था।

## हर हफ्ते दी जाए स्टेटस रिपोर्ट : कोर्ट

**जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली** : साकेत कोर्ट ने दाती महाराज के खिलाफ दुष्कर्म के मामले की जांच को गंभीरता से लिया है। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी यह बताने में नाकाम रहे कि आरोपित छानबीन के दौरान फरार न हो जाए इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) पूजा तलवार ने पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) को जांच की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इस मामले में अदालत में हर हफ्ते स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाए।

कोर्ट ने सोमवार को एक अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट का भी अध्ययन किया। सीएमएम ने कहा कि जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। जांच अधिकारी ने कहा कि आरोपित दाती महाराज को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। नोटिस भेजे जाने पर वह पेश होता है। जब यह पूछा गया कि जिन दो पतों के लिए तलाशी वारंट जारी किए गए थे, क्या वहां तलाशी के दौरान वह मिला, इस पर नकारात्मक जवाब दिया गया।

अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी यह बता पाने में नाकाम रहे कि आरोपित की मौजूदगी और जांच के दौरान वह नहीं भागे, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए। अदालत ने पुलिस को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए और मामले की सुनवाई की अगली तारीख तीन जुलाई तय की।

वीडियो सहायक रेफरी का मैच में भूमिका –फीफा 2018


## कनॉट प्लेस में बदमाशों ने झपटा बैग

**जासं, नई दिल्ली** : नई दिल्ली का इलाका भी सुरक्षित नहीं रह गया है। कनॉट प्लेस स्थित मेट्रो भवन के सामने स्कूटी सवार दो बदमाशों ने सरेराह आगरा से आए व्यक्ति का ट्राली बैग झपट लिया। पीड़ित गत 24 जून की रात मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तभी बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने घटना की शिकायत बाराखंबा थाना पुलिस में की है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित कपिल कुमार अपने कार्यालय के काम के सिलसिले में आगरा से दिल्ली आए हुए थे। कनॉट प्लेस स्थित कार्यालय में काम खत्म कर वह 24 जून की रात पैदल ही मेट्रो स्टेशन की ओर जा रहे थे। उनके पास लाल रंग का ट्राली बैग भी था, जिसमें कपड़े, मोबाइल, घड़ी व अन्य सामान थे। रात करीब 9.30 बजे जैसे ही वह कनॉट लेन से होते हुए मेट्रो भवन के समीप पहुंचे, तभी सफेद रंग की स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने उनका बैग झपट लिया और फरार हो गए।


प्रपत्र सं. एनसीएलटी. 3ए

याचिका के बारे में विज्ञापन

[ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 131 एवं एनसीएलटी नियमावली, 2016 की नियम 35 एवं 77 देखें ]

कंपनी याचिका संख्या 147/एनडी/2018

याचिका सूचना

जिस वर्ष 2014-15, वित्त वर्ष 2015-16 एवं वित्त वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय विवरण एवं बोर्ड रिपोर्ट की संशोधन के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131(1) के अन्तर्गत एक याचिका 19 अप्रैल, 2018 को श्री सालमन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई थी एवं उक्त याचिका 16 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में नई दिल्ली पीठ, (कोर्ट नं. III), नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित है। कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका/आवेदन/रेफरेंस का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक हैं, अपना नाम एवं पता सहित स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, अपनी इरादा की नोटिस याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास भेजें, ताकि वह, याचिका/आवेदन/रेफरेंस की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से न्यूनतम दो दिन पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास पहुंच जाए। याचिका/आवेदन/रेफरेंस का विरोध करने के स्थिति में, विरोध करने का कारण या अपने शपथ पत्र की एक प्रति इस सूचना के साथ संलग्न रहना चाहिए। याचिका/आवेदन/रेफरेंस की एक प्रति इसको निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इसे प्राप्त करने हेतु किसी भी व्यक्ति के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा संलग्न किया जाएगा।

दिनांक: 27.06.2018.

(इरना)/-

वैभव महाजन, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

चेम्बर नं. 264, तायरसी ब्लॉक

साकेत जिला कोर्ट, दिल्ली-110017.

मोबाइल: +91-9899805856

ईमेल: vaibhavmahajan.adv@gmail.com



COURT NOTICE

PRINCIPAL JUDGE

FAMILY COURT, JAMSHEDPUR

In the Court of the Principal Judge, Family Court at, Jamshedpur

Original Misc Case No. 111/2018

Taranjeet Kaur .....Applicant

Vrs.

Nitin Kumar .....Opp. Party

To,

Nitin Kumar, S/o Bharat Singh, R/o House No. 56IA, Near by Nambardar Chopal, Hanuman Mandir, Kapashera Room No. 17, New Delhi - 110037.

Whereas the above named applicant has filed this case U/S 125, Cr. P.C. against you and you are avoiding to appear in this case in spite of several notices have been issued against you through Nazarat as well as Regd. Post Notice.

You are hereby directed to appear in my Court on this the 12th day of July 2018 personaly or through your duly instructed lawyer, failing which the case will be heard ex-party in you absence.

Given under my hand and seal of this Court on this the day of 21.06.2018 at Jamshedpur.

Sd./- Principal Judge, Family Court at Jamshedpur


## संसद भवन के समीप मिले 20 कारतूस

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली** : अति सुरक्षित संसद भवन से महज दो सौ मीटर दूर (गुरुद्वारा रकाबगंज के पास) 20 कारतूस मिले। कारतूस एक प्लास्टिक बैग के अंदर डिब्बे में रखे हुए थे। संसद भवन की सुरक्षा में तैनात एजेंसियां तत्काल हरकत में आईं। पूरे संसद भवन व आसपास के इलाके में दोबारा से जांच की गई, लेकिन वहां अन्य कोई कारतूस नहीं मिला। बरामद कारतूस स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिए गए। 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है।

नई दिल्ली जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब नौ बजे संसद भवन की सुरक्षा में तैनात डॉग स्क्वाड के साथ सुरक्षाकर्मी ड्यूटी से लौट रहे थे। गुरुद्वारा रकाबगंज के पास इम्तियाज खान रोड के समीप स्निफर स्क्वाड के डॉग संदिग्ध चीज की सुगंध मिलने पर चारदीवारी की और गए। दीवार के पास डॉग एक पॉलीथिन बैग को सूंघने लगे। सुरक्षाकर्मियों ने बैग खोला तो उसके अंदर से 0.32 बोर के 20 कारतूस मिले। इसकी सूचना तुरंत सुरक्षाकर्मियों और नई दिल्ली जिला पुलिस को दी गई।

सुरक्षाकर्मियों ने पूरे इलाके की दोबारा जांच की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। इस घटना के बाद संसद भवन की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ऐसी आशंका है कि कोई बदमाश कारतूस लेकर इलाके से गुजर रहा होगा और कड़ी सुरक्षा की वजह से पकड़े जाने के डर से उसने यह बैग सड़क के किनारे फेंक दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई श्रद्धालु कारतूस रखकर गुरुद्वारे में गया हो, लेकिन लौटते वक्त बैग लेना भूल गया हो।

## दिल्ली पुलिस के 23 इंस्पेक्टरों का किया गया तबादला

### जारी हुई सूची, कुछ को कई साल बाद दी गई थाने की जिम्मेदारी तो अधिकतर के बदले गए थाने

**जासं, नई दिल्ली** : दिल्ली पुलिस के 23 इंस्पेक्टरों का तबादला कर दिया गया है। इनमें कुछ को कई साल बाद थाने की जिम्मेदारी दी गई है तो अधिकतर को एक थाने से हटाकर दूसरे थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्यालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक, बदरपुर के थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह को वहां से हटाकर भलस्वा डेयरी का थानाध्यक्ष, सीआरपार्क में तैनात एटीओ सुहैब अहमद को बदरपुर का थानाध्यक्ष, बाबा हरिदास नगर के थानाध्यक्ष अशोक कुमार को वहां से हटाकर ख्याला का थानाध्यक्ष, अलीपुर के थानाध्यक्ष सुरेश कुमार को वहां से हटाकर बाबा हरिदास नगर का थानाध्यक्ष, ख्याला के थानाध्यक्ष सुनील कुमार बामनिया को वहां से हटाकर अलीपुर का थानाध्यक्ष, मुखर्जी नगर के थानाध्यक्ष अनिल कुमार को राष्ट्रपति भवन, स्पेशल ब्रांच में तैनात रमेश सिंह को मुखर्जी नगर का थानाध्यक्ष, गुलाबीबाग के थानाध्यक्ष अभिनेंद्र सिंह को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल द्वारका, यातायात में तैनात सतेंद्र सिंह को गुलाबीबाग का थानाध्यक्ष बनाया गया है। शकरपुर के थानाध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा को विजिलेंस, राष्ट्रपति भवन में तैनात इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार त्यागी को शकरपुर का थानाध्यक्ष, गोविंदपुरी के थानाध्यक्ष संजय भारद्वाज को सब्जीमंडी का थानाध्यक्ष, नेब सराय के थानाध्यक्ष कुलदीप सिंह को गोविंदपुरी का थानाध्यक्ष, दक्षिण जिला में तैनात गोविंद चौहान को थानाध्यक्ष नेब सराय बनाया गया है। शाहबाद डेयरी के इंस्पेक्टर इंवेस्टिगेशन राजेंद्र सिंह को रानीबाग का थानाध्यक्ष, पीसीआर में लंबे समय से तैनात अवतार सिंह रावत को नंद नगरी का थानाध्यक्ष बनाया गया है।

आनंद विहार के थानाध्यक्ष मलकीत सिंह को सिक्योरिटी, दरियागंज थाने में तैनात इंस्पेक्टर इंवेस्टिगेशन चंद्र भान को आनंद विहार का थानाध्यक्ष, नजफगढ़ थाने के थानाध्यक्ष नरेश को स्पेशल ब्रांच, द्वारका सेक्टर 23 के एटीओ सुनील कुमार को थानाध्यक्ष नजफगढ़, स्वरूप नगर के थानाध्यक्ष सतीश कुमार जसोरिया को पहली बटालियन, लाइसेंसिंग में तैनात सुभाष को स्वरूप नगर का थानाध्यक्ष व अमरीक राज को लाइसेंसिंग में तबादला किया गया है।


महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110050

हैलो उपभोक्ता!

एमटीएनएल की ओर से

28 जून, 2018

बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 13.30 बजे तक

खुले सदन सत्र

में आपका स्वागत है।

उपभोक्ता अपने-अपने क्षेत्रों में खुले सदन सत्र में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं और उनसे अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्रों की सेवाओं में सुधार के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव प्रदान करें।

एम टी एन एल

पारदर्शिता ही हमारी पहचान है!

हमारी वेबसाइट http://www.mtnldelhi.in देखें।

सार्वजनिक सूचना

हमारा सदैव प्रयास रहा है कि हम उपभोक्ताओं के लिए अधिक से अधिक सुविधाजनक रहें, अपने उपभोक्ताओं की समस्याओं/ शिकायतों पर अधिक ध्यान दें सकें और हमारे सार्वजनिक इंटरफेस को अधिक सुविधाजनक बनाएं। इस प्रयास की निरंतरता में, एमटीएनएल की ओर से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार क्षेत्र वार खुले सदन सत्र/ उपभोक्ता शिक्षा कार्यशाला की घोषणा की जाती है:

| क्र. स. | क्षेत्र | स्थल |
|---|---|---|
| 1. | म.प्र. (पूर्व) | कार्यालय महाप्रबंधक (पूर्व), कक्ष सं0 212, द्वितीय तल, महानगर दूर संचार भवन, जेएलएन मार्ग (जाकिर हुसैन कॉलेज के समीप), (मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002 |
| 2. | म.प्र. (यमुना पार) | कमेटी रूम, द्वितीय तल, लक्ष्मी नगर टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092 |
| 3. | म.प्र. (पश्चिम) | कार्यालय महाप्रबंधक (पश्चिम) एमटीएनएल, कमेटी रूम, प्रशासनिक खंड, पांचवा तल, राजौरी गार्डन टेलीफोन एक्सचेंज, नई दिल्ली–110027 |
| 4. | म.प्र. (उत्तर) | कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक (बादली), टेलीफोन एक्सचेंज, बादली औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली–110042 |
| 5. | म.प्र. (भीकाजी कामा प्लेस) | कमेटी हॉल, द्वितीय तल, एमटीएनएल बिल्डिंग, 8, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 |
| 6. | म.प्र. (नेहरू प्लेस) | कमेटी रूम, प्रथम तल, प्रशासनिक खण्ड, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110506 |
| 7. | म.प्र. (सेंट्रल) | महानगर दूर संचार सदन, द्वितीय तल, कमेटी रूम, 9, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 |



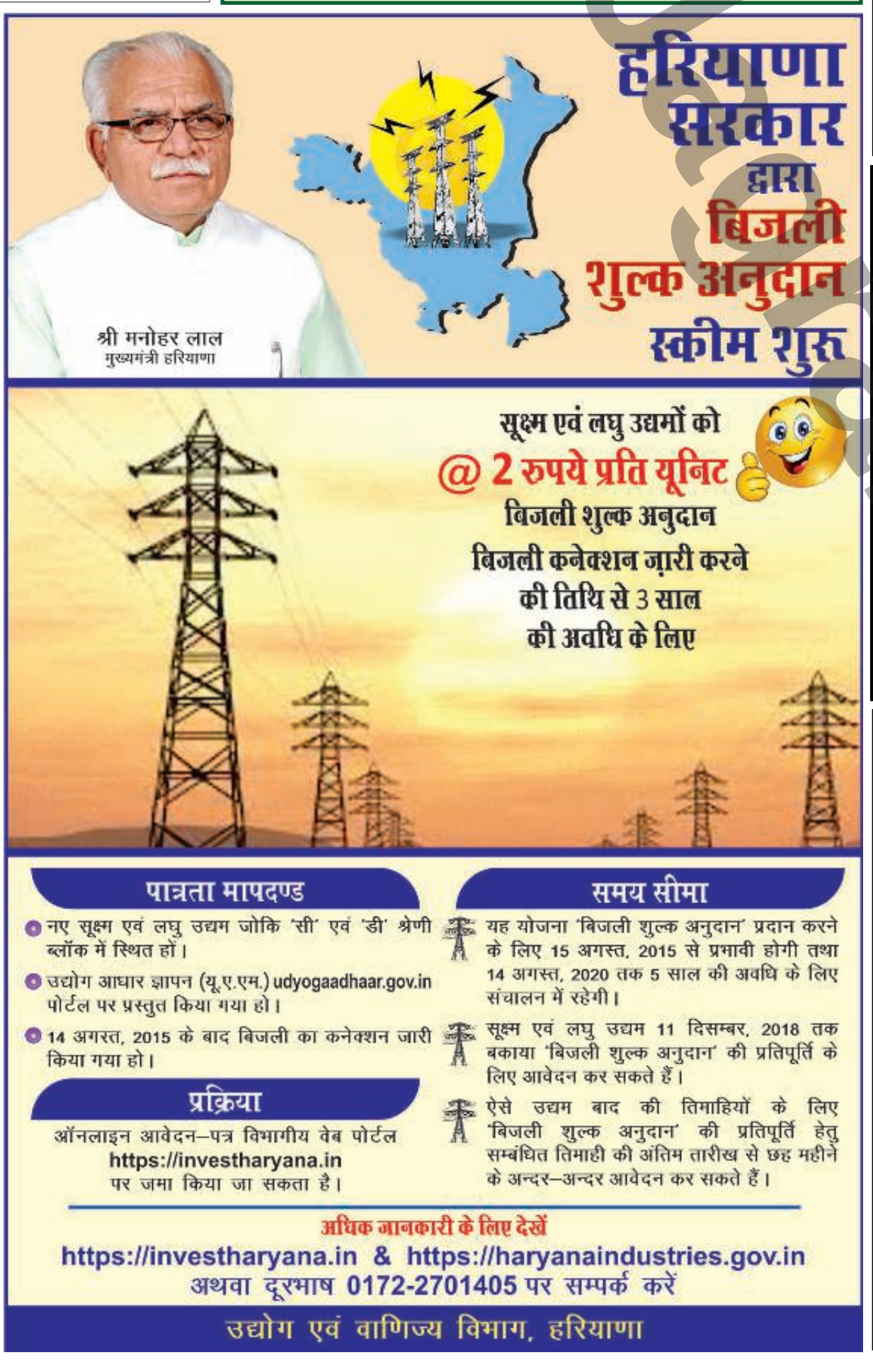




अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070

फोन नं. : 011-29581000, वेबसाइट : www.aicte-india.org

सार्वजनिक सूचना

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) के ध्यान में आया है कि कुछ तकनीकी संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों से शुल्क ''राज्य शुल्क नियामक समिति'' द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना (फीस स्ट्रक्चर) के अनुसार नहीं लिया जा रहा है। अतः, अभातशिप द्वारा अनुमोदित सभी तकनीकी संस्थानों को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वे विद्यार्थियों से शुल्क प्रभारित करते समय राज्य की ''राज्य शुल्क नियामक समिति'' की अनुमोदित शुल्क संरचना का कड़ाई से पालन करें। अभातशिप द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें अनुमोदन को वापस लेना भी शामिल है। अभातशिप अपने स्वयं के आधार पर अथवा पीड़ित की किसी भी प्रकार की शिकायतों की प्राप्ति पर ऐसे सभी कदम उठाएगा जो इन दिशा–निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक होंगे।

विज्ञापन संख्या : एप्रूवल/06(04)/2018

सदस्य सचिव, अभातशिप



दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(आवास शाखा)

ध्यान दे/जरुरी सूचना

1985 रेजिडेंशियल फ्लैट्स रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदकों के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1985 रेजिडेंशियल फ्लैट्स रजिस्ट्रेशन स्कीम (उस समय के स्लम एवं जे. जे. विभाग, डी. डी. ए) के तहत प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदकों का सावदा घेवरा (नांगलोई क्षेत्र) में निर्मित मकान दिया जाएगा। इच्छुक प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदक इस सम्बन्ध में अपना सहमति पत्र दिनांक **17.08.2018** तक जमा करा दें। सहमति पत्र और शपथ पत्र का प्रारूप तथा आवंटन से संबधित नियम एवं शर्तों के बारे में जानकारी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की वेबसाइट **delhishelterboard.in** पर उपलब्ध है। अन्य सहायता व जानकारी हेतु आवेदक उपनिदेशक (आवास) के कार्यालय – बी–3 विकास कुटीर, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली – 110002 से भी सम्पर्क कर सकते है।

(वी. पी. झा)

उपनिदेशक (आवास)

दूरभाष : 011–23378419